दिनांक	कार्यवाही
12.3.20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए ~~विपक्षीगण~~ शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण को कितनी ~~बिरो~~ श्रा-प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांडल को विवादित आराजियात की मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 9.4.20 को पेश हो।
9.4.20	~~उक्त पद~~ [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय [illegible] पद रिक्त है। कार्य में [illegible] अत: पत्रावली [illegible] 7.5.20 पेश हो। ✓ आदेश उपखण्ड अधिकारी माण्डल
7.5.20	~~उक्त पद~~ [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय [illegible] पद रिक्त है। कार्य में [illegible] अत: पत्रावली [illegible] 28.5.20 पेश हो। ✓ आदेश उपखण्ड अधिकारी माण्डल
28.5.20	~~उक्त पद~~ [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय [illegible] पद रिक्त है। कार्य में [illegible] अत: पत्रावली [illegible] 13.8.20 पेश हो। आदेश उपखण्ड अधिकारी माण्डल
12.8.20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 8.9.20 को पेश हो।
8.9.20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई, वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.18 10:16:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

ीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस

मा संख्या – 217/19 प्रा. पत्र

ी सोहन लाल S/o श्री चुन्नीलाल जाति निवासी भगवानपुरा त० माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

श्री रामपाल S/o घीसु जाति निवासी भगवानपुरा तहसील माण्डल (कुल)

(संलग्न प्रा. पत्र संलग्न है)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 08-09-20

::आदेश::

र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन या कि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल में उसके ते / संयुक्त खाते की आराजी न. 1636, 1640 कुल किता 02 रकबा 02 घा 03 विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह हीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते ी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31-12-19 को पंजीबद्व किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे कांश्त काश्त की होने से त्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की रा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को खते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1636, 1640 कुल किता 02 रकबा 02 बीघा 03 विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक भगवानपुरा 1100/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी ... पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.18 10:16:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner